संख्या– 4362 / 1–10–2008–10(12) / 2003

प्रेषक,

शिशिर कुमार यादव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर खीरी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 06 अक्टूबर, 2008

विषयः वर्ष 2003 की बाढ़ / अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों की रोक–थाम हेतु आपूर्ति की गयी मैलाथियान डस्ट हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2003 की बाढ़ / अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होने वाले संक्रामक रोगों की रोक–थाम हेतु राको एग्रोकेम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा आपूर्ति की गयी मैलाथियान डस्ट के भुगतान हेतु उन्हे धनराशि रू0 20,00,955 / – (रूपये बीस लाख नौ सौ पछपन मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित संस्था को आवंटित नही हुई हो। उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों / शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

4. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अंत में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय–विवरण शासनादेश संख्या–1693 / 1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की **05 तारीख तक** उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट **http//rahat.up.nic.in** पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचतें संभावित हों तो उन्हें **दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 तक** शासन को समर्पित कर दिया जाय।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

6. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाए तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।

7. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।

संख्या – 4362 (1)/1–10–2008–10(12)/2003, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/राहत वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. मैनेजिंग डायरेक्टर, राको एग्रोकेम प्रा0 लिमिटेड, 29 दुर्गापुरी, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10.09.2008 के द्वारा शासन को दी गयी वचनबद्धता के अनुक्रम में।
9. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
उप सचिव।